मनमोहन सिंह चक्रव्यूह में

कई बार बच्चे पूछते है कि पिताजी चक्रव्यूह कैसा होता है तो बच्चों को समझाने में बहुत कठिनाई होती हैं। यदि आज मनमोहन सिंह जी से भेंट करा दी जाय तो बच्चों को प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता है। अब प्रधान मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी चक्रव्यूह के दरवाजे पर खड़े हैं। यदि इतिहास बनाना है तो शहादत निश्चित हैं। यदि चक्रव्युह में प्रवेश करने से बचने का प्रयास किये तो कुछ दिन जीवन जी सकते हैं किन्तु अपमानित और कलंकित जीवन। अब तो उनके राजनैतिक जीवन का निर्णायक क्षण नजदीक है और उस निर्णय में उन की शहादत ही उनके समक्ष एकमात्र विकल्प है। और मनमोहन सिंह जी निर्णय करने में देर कर रहे हैं।

दुनिया जानती है कि मनमोहन सिंह पूरी तरह इमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने पूरी इमानदारी से भारत की राजनैतिक व्यवस्था में बदलाव की कोशिश की। भारत का हर नागरिक जानता है कि पिछले डेढ़ दो वर्षो से भारत की राजनैतिक आर्थिक व्यवस्था में गंभीर बदलाव दिख रहा है। सम्भवतः इस स्पष्ट होते बदलाव के लक्षणों ने ही नेहरू गांधी परिवार को चिन्तित किया होगा कि कहीं उनकी पारिवारिक विरासत खतरे में न चली जावे। उन्होंने जरा भी देर नहीं की और एक चक्रव्यूह बनाकर उसके दरवाजे पर श्री सिंह को लाकर खड़ा कर दिया।

मनमोहनसिंह जी सोनिया गांधी की पसंद थे। इस उम्मीद के साथ कि वे कामचलाउ प्रधानमंत्री रहेंगे, तब तक जब तक राजकुमार बालिग न हो जावे। पिछले एक डेढ़ वर्ष से ऐसा महसूस होने लगा कि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहनसिंह की स्वतंत्र छवि विकसित हो रही है। उनकी नीयत में कोई संदेह नहीं है किन्तु उनकी सुधरती राजनैतिक छवि कभी भी उनके निर्णय को प्रभावित कर सकती है। यह संदेह होते ही चक्रव्यूह बनना शुरू हुआ। साम्यवादी तो बेचारे खार खाये हुए थे ही। तत्काल चक्रव्यूह में मोर्चा सम्हालने को तैयार हो गये। संघ परिवार हमेशा से ही अदूरदर्शी माना जाता है। संघ परिवार में सीधे साधे भावना प्रधान लोगों का वर्चस्व है। वे न दूरगामी सोच सकते हैं न योजना बना सकते हैं। संघ परिवार में कूटनीतिज्ञ कभी रहे ही नहीं। यही कारण है कि घटनाओं के ऐतिहासिक मोड़ पर इनके निर्णय दूरगामी न होकर तात्कालिक होते हैं जिनका दुष्प्रभाव ये लम्बे समय तक भोगते रहते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में एक से बढ़कर एक कूटनीतिज्ञ भरे हुए हैं जो बहुत दूरगामी योजना बनाते हैं। वामपंथी तो वैसे ही कूटनीति के भंडार माने जाते हैं और यदि कांग्रेस को उनका साथ मिल जावे तो फिर कहना ही क्या।

यह सारा चक्रव्यूह बनाने का श्रेय दिग्विजय सिंह को जाता हैं। मैं नहीं कह सकता कि दिग्विजय सिंह जी ने राहुल सोनिया को इस दिशा में मोड़ा अथवा राहुल सोनिया ने दिग्विजय सिंह को खोज निकाला किन्तु पिछले एक वर्ष में चक्रव्यूह बनना शुरू हो गया था जो अब निर्णायक मोड़ पर है।

इसका पहला लक्षण उस समय स्पष्ट हुआ जब सोनिया जी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करके उसमें चुन चुन कर ऐसे लोगों को नामजद किया जो सरकार को परेशानी में डाल सकते हैं। बिलों में से खोज खोजकर निकाले गये लोग एकाएक सुपर पावर बन बैठे। यह लक्षण उस समय और स्पष्ट हुआ जब दिग्विजय सिंह जी ने आजमगढ़ जिले के संजरपुर जाकर कट्टरपंथियों को सहलाया फुसलाया और जब दंतेवाड़ा मुठभेड़ कान्ड के बाद नक्सलवाद सफाई की सरकारी योजना को दिग्विजय सिंह ने रोक दिया तब संदेह की कोई गुंजाइश ही शेष नहीं बची थी कि अब मनमोहन सिंह के गिने चुने दिन ही शेष हैं। दिग्विजय सिंह की एक एक चाल को युवराज का दैनिक

समर्थन प्राप्त था। सिर्फ संदेह यही था कि उसे महारानी का समर्थन है या नहीं। वह समर्थन अब जाकर स्पष्ट हुआ जब प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह की मंत्रिमंडल फेर बदल की योजना को महारानी के वीटों ने रोक दिया। अब मामला पूरी तरह साफ है कि सोनिया राहुल और दिग्विजय ने मनमोहन सिंह को चुनौती दे दी है कि यदि जरा भी समझदारी है तो सम्मान पूर्वक इतिहास में चले जाओं अन्यथा जो कुछ बचा है उसकी प्रतीक्षा करो।

यह संभव ही नहीं है कि बिना महारानी की स्वीकृति के भ्रष्टाचार का सारा दोष मनमोहन सिंह पर डालने का इतना संगठित अभियान चल सके। यह भी संभव नहीं कि बिना किसी उच्च स्तरीय समर्थन के विनायक सेन के पक्ष में इतना राष्ट्रीय जनमत खड़ा कर दिया जावे। एक एक चाल सोच समझ कर चली जा रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेबस हैं। उनके पैर बंधे हुए हैं और उन्हें तेज दौड़ने की सलाह दी जा रही है तथा लड़खड़ाने का दोष भी उन पर ही डालने की पूरी पूरी तैयारी है।

प्रश्न उठता है कि ऐसी हालत में क्या किया जा सकता है। अमेरिका ऐसे समय कोई मदद कर नहीं सकता क्योंकि अमेरिका अपना भविष्य धूमिल नहीं कर सकता। भाजपा घोषित रूप से नासमझ लोगों का समूह मात्र है। अन्यथा ये लोग अच्छी खासी सफलता पूर्वक दौड़ रही अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार को बिना मतलब के बदनाम करने की मूर्खता नहीं करते। उनका तो प्रारंभ से ही ऐसा ही इतिहास रहा है कि ये स्वतंत्रता के बाद एक बार भी सोच समझ कर कोई चाल नहीं चल सके। जिस सुषमा स्वराज ने अपने बाल मुण्डन कराकर जमीन पर सोने तक की अभूतपूर्व घोषणा करके सोनिया गांधी के मार्ग में कांटे बिछाये थे वही सुषमा जी अब थाल लेकर राहुल गांधी के राजतिलक के लिये कांटे साफ करने में दिन रात लगी हुई हैं। न्यायालय अपनी ही भडांस निकाल रहा है अन्यथा आज तक के इतिहास में कभी ऐसा अवसर नहीं आया जब न्यायालय किसी प्रधानमंत्री से ऐसा प्रश्न पूछे कि आपने सब कुछ जानते हुए कार्यवाही करने में इतनी देर क्यों की। साम्यवादी अभी बंगाल में ही उलझे हुए हैं। घटनाएं चाहे जो मोड़ लें, उन पर अभी कोई प्रभाव नहीं होने वाला। वामपंथी साहित्य का मनोबल उच्च स्तर पर है। एक से बढ़कर एक लेख लिखे जा रहे हैं और हर लेख का निशाना व्यक्तिगत रूप से मनमोहन सिंह हैं। इनके अतिरिक्त कोई ऐसी ताकत दिखती नहीं जो कुछ हस्तक्षेप की शक्ति या इच्छा रखता हो।

भारत की जनता भी ऐसे समय में कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि पहले योजना पूर्वक उसका ब्रेन वाश किया जा रहा है। सारी असफलता की बदनामी कांग्रेस पार्टी पर न डालकर मनमोहनसिंह पर डाली जा रही है। मनमोहन सिंह जी को अभी दौड़ाया जा रहा है, थकाया जा रहा है और बेचारे जब थक जायेंगे तब धीरे से उन्हें कह दिया जायेगा कि अब आराम करिये।

मनमोहनसिंह जी को चाहिये कि वे तत्काल जाकर सोनिया जी को अपना त्यागपत्र दे दें अन्यथा प्याज और जूता वाली कहावत दुहराने को तैयार रहें। पिछले डेढ़ वर्ष से मैं भारत की वर्तमान राजनैतिक गतिविधियों में व्यवस्था परिवर्तन के प्रति आशान्वित था किन्तु अब तो मैं भी नाव को मझधार में देखकर आशा छोड़ने लगा हूँ। देखिये कि आगे आगे और क्या होता हैं।

प्रश्नोत्तर

01.श्री प्रवोध कुमार पाठक, विजनौर उत्तर प्रदेश

प्रश्न– ज्ञान तत्व 214 में आपने लिखा है कि जो संगठन प्रतिद्वंदिता में सहयोगी व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसा करे वह उग्रवादी है, मैं आपके विचारों से यहॉ तक तो सहमत हूँ क्योंकि यह बात निर्विवाद सत्य हैं आगे आपने लिखा है कि साम्यवाद, इस्लाम और संघ आतंकवादी तो नहीं है मगर उग्रवादी तो है।

मैं स0स्व. संघ के द्वितीय संर संघ चालक जी के दायित्व काल से आज तक संघ का स्वयं सेवक रहा हूॅ। मै यह जानता हूॅ कि साम्यवाद पूर्ण रूपेण नास्तिक, अनीश्वर वादी और हिंसा में विश्वास रखने वाला व उसे मूर्त रूप देने वाला संगठन है। पाकिस्तान से आये तमाम आतंकवादी भारत में सुनियोजित तरीके से निर्दोषों की हत्या करते है। क्या ये आतंकवादी नहीं हैं। और इनके संगठनों में मुखिया इस्लाम में विश्वास नहीं रखते है, अपने दीन धर्म के ये पूर्णयता कट्टर है। इस्लाम में यह मान्यता है कि जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखता वह काफिर है। संघ, जो सर्व धर्म समभाव, वसुन्धैव कुटुम्बकम, जननी जन्म भूमि को स्वर्ग से महान मानता है, उस संघ को भी साम्यवाद इस्लाम के साथ उग्रवाद की श्रेणी में क्यों रख दिया । इसका मुझे दुःख है। संघ का उद्देश्य शान्तिपूर्वक हिन्दू संस्कृति को आगे बढ़ाना है उस की किसी धर्म या मत से प्रतिद्वंदिता अथवा 'शत्रुता नहीं है उसकी कथनी व करनी राष्ट्रवाद से प्रेंरित हैं। ऐसे हिन्दुत्व हित का चिन्तन करने वाले संगठन को उग्रवादी की श्रेणी में आप क्या सोचकर रखते है ? कृपया आगामी अंकों में प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्पष्ट करने की कृपा करें।

उत्तर–इस्लाम राष्ट्र और समाज से उपर धर्म मानता हैं। साम्यवाद समाज और धर्म से उपर राज्य मानता है। हिन्दू धर्म और राज्य से उपर समाज मानता है। संघ क्या मानता है ?मेरी जानकारी में संघ समाज से उपर धर्म या राष्ट्र तो मानता है किन्तु समाज को उपर नहीं मानता। ईश्वर को मानना न मानना व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण तक सीमित हैं समाज विरोधी कार्य नहीं। ईश्वर को न मानने वाले पर बल प्रयोग करना समाज विरोधी कार्य है। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचिये कि सभी शरीफ लोग हिन्दू माने जायें या सभी हिन्दू शरीफ। संघ की मान्यता सभी हिन्दू शरीफ और हिन्दुत्व की परिभाषा में सभी शरीफ हिन्दू। जो संगठन गुणों के आधार पर वर्ग न मानकर वर्ग के आधार पर गुण मानता हो वह हिन्दु हो ही नहीं सकता। इस्लाम में सभी आतंकवादी नहीं हैं। हम आतंकवादी को मुसलमान न कहकर आतंकवादी कहें तो हर्ज क्या हैं।

संघ यदि उग्रवादी संगठन की पहचान से निकलना चाहता है तो उसे तीन घोषणाएँ करनी होगी (1) समाज सर्वोच्च है, धर्म मार्गदर्शक और राज्य सहायक (2) गुणों के आधार पर वर्ग होगा, वर्ग के आधार पर गुण नहीं (3) बल प्रयोग व्यवस्था के माध्यम से होगा, व्यक्तिगत नहीं। व्यवस्था सरकार अर्थात राज्य का विषय होगा। इस तरह समाज में बल प्रयोग को प्रोत्साहन बिल्कुल गलत है क्योंकि वह राज्य का विषय है। संघ इस संबंध में स्पष्ट करे।

02.श्री अमर सिंह आर्य, जयपुर राजस्थान

प्रश्न– (क) ज्ञान तत्व दो सौ बारह में आपने नरेन्द मोदी को साम्प्रदायिक और नितिश कुमार के धर्म निरपेक्ष लिखा है। क्या यह उचित है ?

(ख) केरल के प्रोफेसर जोजफ को मुहम्मद साहब के विरूद्ध टिप्पणी करने पर तत्काल हाथ काट दिया गया। केरल में आबादी का पचपन प्रतिशत हिन्दू था जो साठ वर्षो में घटकर बीस रह गया। कश्मीर में यह आबादी बीस से घटकर दो है। नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय, अरूणांचल में भारत के प्रति निष्ठा समाप्त हो गई हैं। उड़ीसा में इसाई बलपूर्वक धर्म प्रचार करते हैं। हिन्दू क्या करें ?

(ग) सन् सतहत्तर में सांसद ओम प्रकाश त्यागी ने धर्म स्वातंत्र विधेयक रखा था जो पारित नहीं हुआ क्यांकि मटर टेरेसा ने उसका विरोध किया था।

(घ) अरून्धती राय ने मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में अवैध बंगला बना रखा है। कोई ध्यान नहीं। सैयद शाह जीलानी ने कश्मीर को भारत का भाग ही नहीं माना तो कोई कार्यवाही नहीं, जबकि सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार तिब्बत, नेपाल,

भूटान, वर्मा, अफगानिस्तान सहित आर्यावर्त था। हम इतिहास न जानते हैं न जानने की कोशिश करते है। उमर अब्दुल्ला ने भी उमर का समर्थन कर दिया। ऐसा कब तक चलता रहेगा ?

(ड़) आपने लिखा है कि चरित्र पतन की गति कम हो रही है दूसरी ओर दिख रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, संसद ठप हैं आपको दो विपरीत बातें कैसे दिख रही हैं।

(च) कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद हैं। कहीं लोकतंत्र नहीं है। साठ वर्षो से एक ही परिवार का आधिपत्य हैं। अब राहुल थोप दिये जायेंगे। आपका क्या मत है ?

(छ)श्री जगदीश गांधी ने नीति निदेशक तत्वों की प्रशंसा की जबकि मेरी जानकारी में गांधी जी को धोखा देने के लिये ये तत्व संविधान में डाले गये।

(ज) अभी चीन के प्रधानमंत्री भारत आये। भारत उनसे लाभ नहीं उठा सका बल्कि चीन ही लाभ ले गया। आज व्यापार में चीन भारत से मजबूत है। मनमोहन सिंह जी चीन से कमजोर क्यों पड़े ?

(झ) आप बार बार सरदार पटेल को केन्द्रीयकरण का पक्षधर लिख देते हैं। मुझे गुजरात दौरे के समय सरदार पटेल के विषय में अच्छी जानकारी मिली। इसके पूर्व गांधीजी सहित अनेक प्रमुख लोगों ने सरदार पटेल की प्रशंसा की है। फिर आपके विपरीत विचार क्यों ?

उत्तर–(क) मेरे विचार में नरेन्द्र मोदी और नितिश कुमार दोनों ही अच्छे लोग हैं। जब भ्रष्टाचार को आधार बनाकर सम्पूर्ण राजनीति के तीन भाग किये गये तो नरेन्द्र मोदी और नितिश कुमार एक साथ है जबकि माया मुलायम एक साथ और अडवाणी प्रणव मुखर्जी एक साथ। किन्तु जब लोकतंत्र और तानाशाही के बीच विभाजन करना हो तो नितिश कुमार लोकतंत्र तथा नरेन्द्र मोदी तानाशाही प्रवृत्ति के माने जाने चाहिये।

(ख)हिन्दूओं की घटती आबादी के प्रति खतरों को मैं जानता भी हूँ और सहमत भी हूँ। किन्तु इस खतरे से भी ज्यादा बड़ा खतरा भारत में शराफत के प्रति घटता आकर्षण है। लगातार आम चरित्र में गिरावट आ रही है।राजनीति चरित्र पतन की कीमत पर भौतिक उन्नति की भूख पैदा कर रही है। आज लोगों में शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा भी है और बढ़ाया भी जा रहा हैं। किन्तु ज्ञान घट रहा है। चरित्र पतन से न हिन्दू अछूता है न अन्य। आप हिन्दू की पहले चिन्ता करना चाहते हैं और में शराफत की। आप धर्म पर खतरे से ज्यादा चिन्तित हैं और मैं समाज के खतरे से। अपनी अपनी प्राथमिकताएँ हैं।

(ग) मैं उस समय राजनीति में था। मैं त्यागी जी द्वारा रखे गये धर्म स्वातंत्र विधेयक को एक गलत समय पर की गई बचकानी पहल माना था और आज भी मानता हूं। उस समय मिले जुले विचारों की सरकार थीं। त्यागी जी के अदूरदर्शी कदम ने सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे अदूरदर्शी लोग बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। यदि वह सरकार दो तीन वर्ष और चलकर स्थिर हो जाती तब यह बिल पास होना संभव था। सरकार भी गई और बिल भी गया। आज कुछ कुछ वैसी ही बचकानी हरकत कश्मीर मामले में भाजपा करने जा रही है। ऐसे गंभीर मामलों में अपने दलगत स्वार्थ के लिये भावनात्मक निर्णय से बचकर सोच समझ कर निर्णय करना चाहिये।

(घ) अरून्धती राय के बंगले के संबंध में मुझे जानकारी नहीं। गिलानी जी कश्मीर में पाकिस्तान समर्थक हैं। यदि अरून्धती राय और गिलानी या कोई अन्य भारत को पाकिस्तान में मिलाने की बात करें तो उसे अपनी बात कहने से कैसे रोका जा सकता है। क्या कारण है कि ऐसे लोगों की बात को हम इतना महत्व देते हैं जबकि उनसे कई गुना ज्यादा पक्ष में बोलने वाले हमारे पास हैं। हमारी बुरी आदत बन रही है कि हम तर्क को तर्क से न समझाकर बल प्रयोग की सिफारिश करने लगते हैं। यदि अभिव्यक्ति की

आजादी किसी क्रिया के साथ जुड़ती है तब कानून को आगे जाना चाहिये जैसा कि विनायक सेन मामले में हुआ। मेघा पाटकर से लेकर राजेन्द्र सच्चर, अपर्णासेन, सुजाता भट्ट कौसिक सेन आदि प्रख्यात समाजसेवा मानवाधिकार आदि के ठेकेदारों ने भरपूर छाती पीट पीट कर हल्ला किया और वातावरण भी बनाया यहा तक कि दुनियॉ भर के ठेकेदारों ने पहले भी दबाव बनाया था और अब भी बना रहे हैं। किन्तु कानून ने अपना काम किया। सिर्फ विचार अभिव्यक्ति का गला घोंटने की मांग मैं ठीक नहीं समझता। उसी तरह किसी संगठित क्रिया को भी विचार अभिव्यक्ति के नाम पर होने देना ठीक नहीं। हमारा कर्तव्य है कि आप दोनों संगठनों को अपनी अपनी सीमाएँ बताएँ और यदि आप सीमा तोड़े तो आपको कानून दण्डित करें। आप अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटना चाहते हैं और मानवाधिकारवादी वामपंथी लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं यह ठीक नहीं।

(ड,) मेरा मत आप सबसे भिन्न है। आपको ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। अब तक प्रधानमंत्री जिस भ्रष्टाचार को चाहते वह उजागर होता और जिसे चाहते वह दब जाता। अब वैसा नहीं। इसी तरह अब प्रधानमंत्री का दबाव घटकर लोकतंत्र मजबूत हो रहा हैं। अब मंत्री पहले सरीखे दबे हुए नहीं हैं। सब स्वतंत्र बोलने लगे हैं। यहॉ तक कि सेनाध्यक्ष भी अपनी बात मीडिया में रख रहे हैं। आपको ये बाते खराब लगती होगी किन्तु मुझे ठीक लग रही हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की अनुशासन का डंडा देखिये और दूसरी तरह मंत्रिमंडल का खुलापन देखिये। आसमान जमीन का फर्क है। संसद ठप है तो इसमें सरकार कहां दोषी है ?

(च) आप परिवार वाद के विरोधी है यह सही हैं। मैं भी विरोधी हूँ। मार्ग बताइये। अभी मेरे दिमाग में तो लोक स्वराज्य प्रणाली ही इसका समाधान दिखता हैं।

(छ) नीति निर्देशक तत्व डालना एक चालाकी भरा कदम था। यह कदम चार कारणों से उठाया गया।

(1) हमारे संविधान निर्माताओं को समाज शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। उन्होंने धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र तक ही समझा था। उन्हें मिलाकर ही संविधान बनाना उनकी मजबूरी थी। इन्होंने कभी समाज का अलग अस्तित्व माना ही नहीं।

(2) हमारे संविधान निर्माताओं में मौलिक चिन्तन का अभाव था। वे संविधान की ही परिभाषा नहीं समझ सके। वे मूल अधिकार, अपराध, दायित्व तथा कर्तव्य आदि को ठीक से परिभाषित ही नहीं कर सके क्योंकि पश्चिम के विद्वान अब तक इन्हें परिभाषित कर नहीं पाये और हमारे संविधान निर्माता पश्चिम की किताबें और साम्यवादी विचार के बीच नकल करने तक ही सीमित रहे।

(3) स्वतंत्रता का लाभ उठाकर समझौता हेतु मजबूर करने वाले कम से कम तीन गुट तो यहॉ सक्रिय थे (1) जिन्ना (2) गोलवलकर (3) अम्बेडकर। जिन्ना को पाकिस्तान देकर टाला गया, गोलबलकर को किनारे कर दिया गया और अम्बेडकर से समझौता किया गया। इस तरह उस समय के वास्तविक हालात भी साफ नहीं थे।

(4) हमारे संविधान निर्माता राजनीतिज्ञ थे। वे समाज को सदा के लिये गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। इसीलिये उन्होंने नीति निदेशक तत्व संविधान में डालकर सदा सदा के लिये समाज को गुलाम बनाकर रखने की व्यवस्था कर ली।

नीति निदेशक तत्व संविधान का सबसे खतरनाक भाग है। यह भाग राज्य को छूट देता है कि वह जनहित की परिभाषा स्वयं कर सकता है और उस परिभाषा के आधार पर किसी भी सीमा तक समाज के अधिकार अपने पास समेट सकता है। किन्तु ये अधिकार उसके दायित्व नहीं होंगे। राज्य अपने दायित्व पूरे करने के उद्देश्य से तो समाज को अपने अधिकारों में कटौती के लिये बाध्य कर सकता है किन्तु जो कार्य उसका दायित्व नहीं उसके निमित्त वह समाज को सहमत ही कर सकता है बाध्य नहीं। यह तो अनाड़ी सी बात हुई कि नीति निदेशक तत्व नाम से अध्याय जोड़कर राज्य को इतनी मनमानी करने की छूट दे दी जावे कि राज्य इस संबंध में कानून बनाकर समाज के अधिकारों में कटौती तो कर सकता है किन्तु समाज इस संबंध में राज्य से कुछ नहीं पूछ सकता क्योंकि यह राज्य के दायित्वों की सूची में शामिल नहीं हैं। नीति निदेशक तत्व समाज और राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन न होकर अधिकारों के स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करने की चाबी राजनेताओं को सौंपने जैसा कार्य है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे अनेक मित्र नीति निर्देशक तत्वों को बाध्यकारी बनाने की बात करते हैं जबकि सच्चाई यह है कि ये तत्व हमारी गुलामी के प्रतीक है। इस विषय पर और प्रश्न होंगे तब यह बात ज्यादा स्पष्ट करना संभव है।

(ज) अभी विश्व के पांच प्रमुख देशों के प्रधान भारत आये। किसकी क्या मंशा थी। क्या समझौते हुए। किनसे भारत को हानि हुई और किनसे लाभ, यह विषय मेरी समझ से उपर का है। मैं इस विषय की समीक्षा नहीं कर सकता। यह प्रश्न आप किसी अन्य जानकार से करें तो अच्छा होगा। मैं तो कुल मिलाकर इतना ही समझा कि पांच विपरीत इच्छाओं वाले देशों को संतुष्ट रखने में भारत सफल दिखता हैं। इससे ज्यादा कहना मेरे लिये संभव नहीं।

(झ) मैंने सरदार पटेल की कहीं आलोचना नहीं की हैं। सरदार पटेल की कार्यप्रणाली और नेहरू जी की कार्यप्रणाली भिन्न भिन्न थी। सरदार पटेल में नेहरू जी की अपेक्षा त्याग भाव अधिक था किन्तु पटेल सुराज्य के लिये ज्यादा दृढ़ थे जो तानाशाही की दिशा में झुका हुआ था दूसरी ओर नेहरू जी का सुराज्य लोकतंत्र की दिशा में झुका हुआ था। गांधी जी के लोक स्वराज्य से न नेहरू जी को कुछ मतलब था न पटेल को। गांधी जी के लिये दोनों बेकार थे किन्तु यदि दो में से ही एक चुनना था तो नेहरू पटेल की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक थे। नेहरू जी की अपेक्षा पटेल की व्यवस्था में इतनी समस्याएँ नहीं होती जैसी आज हैं किन्तु पटेल की व्यवस्था में देश केन्द्रीयकरण की ओर अधिक झुकता जिसका अर्थ होता गुलामी। आज तक यह तय नहीं हो पाया कि सुव्यवस्था अधिक अच्छी है या स्व व्यवस्था। आप जैसे अधिकाश लोग सुव्यवस्था के पक्षधर हैं और मेरे जैसे कुछ लोग स्वव्यवस्था के पक्षधर है। यही कारण है कि आप पटेल के प्रशंसक है और मैं नहीं।

आपने कुछ प्रश्न किये। मैं भी कुछ प्रश्न करूॅ। कि आपकी नजर में समाज धर्म और राज्य में से कौन अधिक बड़ा है। अन्तिम निर्णय किसका हो। तीनों में क्या फर्क है? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर खोज लेंगे तो अनेक प्रश्न स्वतः ही बन्द हो जायेंगे। आशा है कि आप तथा अन्य पाठक इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे जिससे संवाद विस्तार हो सके।

(3) श्री जगदीश गांधी, प्रबंधक सिटी मोन्टेसरी स्कूल, लखनउ, यू0पी0

विचार– भारतीय संविधान दुनिया का अकेला ऐसा संविधान है जिसके मूल स्वरूप में धारा इक्यावन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह धारा भारत को विश्व समुदाय का अंग बने रहने तथा विश्व व्यवस्था को स्वीकार करने हेतु

प्रेरित करती हैं। इस धारा का मूल उद्देश्य भारतीय जन मानस को विश्व सरकार के महत्व की ओर ले जाने का रहा हैं। इसके अनुसार हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पूरी तरह निरंकुश नहीं हैं। वह स्वतंत्रता विश्व व्यवस्था का एक भाग है।

लखनउ स्थित हमारे स्कूल में दस से चौदह दिसम्बर तक दुनिया के इकहत्तर देशों से पधारे मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों तथा शान्ति प्रचारकों ने बैठकर अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था और विश्व सरकार की आवश्यकता पर गंभीर विचार मंथन किया। निष्कर्ष के रूप में माना गया कि भारतीय संविधान की धारा इक्यावन सी दुनिया की सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करती है। इस अन्तर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक सम्मेलन में आये हुए प्रतिनिधियों ने गहन चिन्तन मनन के बाद निकाला। यह निष्कर्ष विश्व स्तरीय समस्याओ के समाधान की शुरूआत हो सकता हैं। आप निष्कषों को पढकर अपने विचार दें।

उत्तर– मैं बचपन से ही महसूस करता हूँ कि व्यक्ति से लेकर विश्व मानव समाज तक एक कड़ी जुड़ती हुई होनी चाहिये जो एक दूसरे की पूरक भी हो और नियंत्रक भी। इन सब इकाइयों की अपनी अपनी निश्चित सीमाएँ हो जिस सीमा का कोई इकाई यदि अतिक्रमण करें तो उपर की इकाई उस अतिक्रमण को रोके और यदि वह इकाई अपनी सीमा में हो तो कोई भी अन्य इकाई उसमें हस्तक्षेप न करे। ऐसी इकाइयाँ घोषित करके उनके अधिकारों का विभाजन हो जाना ही उचित व्यवस्था है।

दुर्भाग्य से व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक तो यह अधिकार विभाजन की कड़ी कुछ टूटी फूटी अवस्था में दिखती भी है किन्तु राष्ट्र के बाद तो यह कड़ी पूरी तरह ही समाप्त हो गई है। परिणाम स्वरूप राष्ट्र की स्वच्छंदता जब दूसरे राष्ट्र के मामले में हस्तक्षेप करने लगती है तब हमारे पास उस स्वच्छंदता को रोकने का कोई उपाय नहीं रहता। इसी तरह राष्ट्र जब अपनी ही नीचे वाली इकाई पर भी अत्याचार करने लगे तो हम सिवाय बदनाम करने के और कुछ नहीं कर सकते। आज तक दुनिया में सर्वाधिक अन्याय अत्याचार इस अनियंत्रित राष्ट्रवाद की अवधारणा से ही हुआ है और हो रहा है।

ऐसी स्थिति में इस राष्ट्रवाद की कड़ी को आगे बढ़ाकर विश्व सरकार तक जोड़ने का प्रयत्न पूरी तरह सराहनीय कार्य है। मैं इस प्रयत्न का पूरा समर्थन करता हूं तथा सहयोग का वचन देता हूँ। हम लोगों की टीम ने मिलकर जो भारत का प्रस्तावित संविधान बनाया और प्रचारित किया है उसमें धारा 158 में हमने इस विश्व व्यवस्था के महत्व को शामिल किया हैं।धारा 158–किसी अन्य देश से विवाद की स्थिति में भारत सरकार तथा संसद पंच फैसले या संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय को स्वीकार करेगी।

(4)प्रश्न– श्री चंद्रमौलेश्वर,1–8-28, यशवंत भवन अलवर सिकन्दराबाद, आध्र 500010

आपने ज्ञान तत्व के दो सौ पंद्रह अंक में सुझाव दिया है कि जनमत जागृति तीन मुद्दों पर होगी – लोक स्वराज, जीवन भत्ता और राइट टु रिकाल। राइट टु रिकाल पर जब जय प्रकाश नारायण जी ने अपना मत रखा तो मोरारजी देसाई जी ने उसे सिरे से नकार दिया था। इससे देश की राजनीति में और अराजकता आ सकती है।

दुसरा मुद्दा जीवन भत्ता देना क्या नागरिकों को निकृष्ट बनाना नहीं है। जीवन भत्ता मिले तो काम कौन करें? वैसे भी आज जिस प्रकार न्यूनतम वेतन सरकार बढ़ा रही है, उससे आम मध्य वर्गी परिवार पिसा जा रहा है। आज मजदूर के रहम पर मालिक है– पैसा

दो और बहला फुसला कर काम कराओं। मजदूर नेता इस अराजकता के चलते मजदूरों को हड़ताल पर जाने को प्रोत्साहित करते हैं,मिल बंद होते है और मालिकों को लाभ होता है मिल की जमीन बेच कर और मजदूर बेरोजगार हो जाते है। इसका जीता–जागता सबूत है मुम्बई की मिलें जो मालिकों को अरबपति बना रही है और मजदूर सड़क पर आ गए हैं।
लोक स्वराज तो एक स्वप्न है जिससे आम जनता को फुसलाया जा सकता हैं। शायद इस विश्व में कहीं भी लोक स्वराज की स्थापना नहीं हो सकी। किसी समय भारत में मोहनजोदड़ो सभ्यता और रोम जुलियस के पूर्व जैसे देशों में लोक स्वराज रहा होगा जब लोग कम थे। आज तो वह दिवास्वप्न ही होगा।
लोगों को जागृत करने का आप स्तुतीय कार्य कर रहे हैं परंतु एक और राजनीतिक दल बनाना इसका हल नहीं हो सकता।

उत्तर– यह सच है कि मुरार जी भाई ने राइट टु रिकाल को नकार दिया था। विचारणीय यह है कि जयप्रकाश जी एक गंभीर विचारक थे और मुरार जी भाई इमानदार प्रशासक। जय प्रकाश जी ने मिलती हुई सत्ता ठुकरा दी थी जबकि मुरार जी भाई ने सत्ता के लिये संघर्ष किया था। जे0पी0 की सोच दीर्धकालिक थी और मुरारजी की अल्पकालिक। मुरारजी का कथन गलत सिद्ध हुआ। यदि जे0पी0 की बात मान ली जाती तो राजनेताओं की इस तरह ताकत नहीं बढ़ती जैसी आज है। राइट टु रिकाल लोक और तंत्र के बीच बढ़ती दूरी को कम करने का एक अच्छा आधार हैं। दुर्भाग्य से मुरारजी भाई ने इस मांग को नकार दिया।

आपका दूसरा तर्क तो बहुत कष्टकारक हैं। क्या यह उचित होगा कि धन सम्पत्ति की सुविधा सम्पन्नता के अभाव के आधार पर वर्ग बना दिये जावें और ऐसे वर्गो को सदा के लिये श्रम करने के लिये मजबूर कर दिया जावे? यदि मजदूर की मजबूरी घट जाये तो यह उसे निकृष्ट बना देगी ऐसा तर्क तो मैंने कुछ निकृष्ट सोच वालों से ही सुना है जिसमें मैं आपको नहीं मानता। गरीब लोगों की दाल रोटी साइकिल पर टैक्स लगाना निकृष्ट कार्य नहीं है और उन्हें जीवन भत्ता देना निकृष्ट हो जायेगा? सच बात यह है कि आर्थिक विषमता का इस तरह बढ़ना खतरे की घंटी है। श्रम और बुद्धि के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। श्रम मूल्य को बढ़ने से रोका जा रहा है। मध्यम वर्ग ने अपनी सुविधाएँ बढ़ाना अपना अधिकार मान लिया हैं। यही कारण है कि वह निम्न वर्ग को हमेशा मजबूर बनाकर रखना चाहता है। श्रम और गरीबी को इस तरह हेय दृष्टि से देखना तो घातक है ही साथ ही ऐसे तर्क और भी घातक हैं। ऐसे तर्क और ऐसी मानसिकता नक्सलवाद के विस्तार का आधार बनती है।
सरकार द्वारा मजदूरी बढ़ाना घातक परंपरा है। इससे श्रम की मांग घटती है और श्रम मूल्य पर बुरा असर होता है। संगठित लोग मिल मजदूर के रूप में श्रम जीवियों को ब्लैक मेल करते है। जब एक सीमा से नीचे के लोगों को जीवन भत्ता मिलेगा तो ये संगठित लोग

ब्लैक मेल नहीं कर पायेंगे। जो मजदूर सड़क पर आये है वे मजदूर न लोकर ब्लैक मेलर थें।
लोक स्वराज्य आज तक दुनिया में कहीं नहीं आ सका क्योंकि किसी राजनैतिक सत्ता की ऐसी नीयत नहीं है। जब आज तक इसका प्रयत्न ही नहीं हुआ तो इसकी असफलता सफलता का आकलन कैसे संभव हैं। अब तक या तो तानाशाही रही है या लोकतंत्र। तानाशाही में अव्यवस्था नहीं हो सकती किन्तु गुलामी होती है जबकि लोकतंत्र में गुलामी नहीं रहती किन्तु अव्यवस्था होती है। आज तक तीसरे मार्ग लोक स्वराज्य का प्रयोग हुआ ही नहीं। अब पचपन वर्षो के शोध और प्रयोगों के बाद यह मार्ग निकला है कि लोक स्वराज्य तानाशाही गुलामी और लोकतंत्र की अव्यवस्था से हटकर तीसरा मार्ग है। हमने गांधी और जयप्रकाश की बात मानी होती तो भारत दुनिया का पहला लोक स्वराज्य बन गया होता जहाँ सु व्यवस्था स्थापित हो गई होती। अतः लोक स्वराज्य को स्वप्न बताकर वर्तमान असफल हो चुके लोकतंत्र को बचाने की कोशिश ठीक नहीं। हम जितनी जल्दी इस सड़ी गली लाश से मुक्त होकर लोक स्वराज्य की राह पकड़ ले उतना ही अच्छा होगा।

(5) प्रश्न– डा0मनोज दुबलिस, मेडी सेंटर, मेरठ, उत्तर प्रदेश
प्रधानमंत्री अगर ईमानदार हैं तो स्वयं को ईमानदार साबित भी तो करें

भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश श्री कृष्णा अय्यर ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री बालकृष्णन और सतर्कता विभाग प्रमुख श्री थोमस के भ्रष्टाचार में फंसे होने के सबूत मिलने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की रहस्यमयी चुप्पी पर आश्चर्य व्यक्त किया है। जब सारा देश इस तथ्य से अवगत है कि भारत के प्रधानमंत्री ठीक उस प्रकार काम कर रहा है जैसे किसी रंगीन टीवी के रिमोट कंट्रोल का म्यूट बटन दबा हुआ हो और उस म्यूट बटन को सोनिया गाँधी ने दबाया हुआ है तो क्या यह बात श्री अय्यर को पता नहीं होगी। कर्नाटक का राज्यपाल वहाँ की सरकार का भ्रष्टाचार तो देखता है परन्तु देश में फैले अपनी ही सरकार द्वारा संचालित या स्पांसर भ्रष्टाचार पर चुप्पी लगाये है। प्रधानमंत्री को बस ईमानदार बताकर सोनिया गाँधी और उनकी पार्टी केवल सरकार का मुखौटा के तौर पर प्रस्तुत कर रही है और प्रधानमंत्री भी बड़े मजे से सत्ता का आनंद उठा रहे हैं। आज देश, केंद्र और राज्य के सत्तादल के नेताओं द्वारा संचालित और संयोजित महंगाई,बेरोजगारी,रिश्वत, व्यभिचार, पापाचार, अत्याचार, बलात्कार, से त्रस्त है परन्तु प्रधानमंत्री को तो बस अपनी कुर्सी से मतलब क्योंकि वे ईमानदार है, किसके प्रति, केवल सोनिया गाँधी के प्रति/ कहीं ऐसा ना हो जाय कि जैसे अटल बिहारी बाजपेयी बीजेपी के लिए आखिरी मुगलबादशाह साबित हुए थे तो ऐसे ही कहीं मनमोहन सिंह कांग्रेस के आखिरी मुगलबादशाह ना बन जाएँ। क्योंकि जब अन्याय

अत्याचार व्यभिचार या पापाचार की अति हो जाती है तब जनता स्वयं ही न्याय करने पर उतारू हो जाती है, इसलिए मनमोहन सिंह जी को जनता के सब्र का टूटने का इन्तजार करने के बजाय अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिये।

उत्तर– मैं साठ वर्षो से लगातार देख रहा हूँ कि हमें नेहरू परिवार को छोड़कर किसी अन्य में कोई गुण दिखता ही नहीं। यदि शास्त्री जी नहीं मरे होते तो उन्हें भी ऐसे प्रश्नों की बौछार झेलनी ही पड़ती। मुरारजी देसाई सरीखे व्यक्ति को शराब माफिया के साथ मिलकर चलता किया गया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को आरक्षण के नाम पर। आश्चर्य हुआ जब अटल बिहारी बाजपेयी जैसे व्यक्तित्व को भी हम नहीं पचा पाये क्योंकि ज्योंही कोई अन्य सत्ता के पास आता है त्योंही हमारी नैतिकता, आदर्श और ईमानदारी की भूख इतनी बढ़ जाती है कि वह बेचारा संतुष्ट कर ही नहीं पाता और हार थक कर हट जाता है। बस नेहरू परिवार के आते ही हमारी सारी इमानदारी के मापदण्ड नीचे चले जाते हैं। फिर तो हमें भ्रष्ट से भ्रष्ट कांग्रेसी का एक भी गुण उसमें देवत्व के दर्शन कराने लगता हैं।

आप भी जानते हैं कि मनमोहनसिंह बटन मात्र हैं दबाने वाली कोई और है किन्तु आप प्रश्न बटन से कर रहे हैं, बटन दबाने वाले से नहीं। पूर्व न्यायाधीश कृष्णा अय्यर जी सरीखे लोग तो एक निश्चित विचारधारा के आधार पर परिस्थिति का आकलन करके प्रश्न चुनते हैं किन्तु आप तो उनमें नहीं। आप क्यों जाने अनजाने ऐसी योजना के सहभागी बनते हैं। भ्रष्टाचार और महंगाई जैसी समस्याएँ साठ वर्षो से लगातार बढ़ते जा रही है। किन्तु नेहरू गांधी परिवार की सत्ता आते ही ये प्रश्न किनारे हो जाते हैं और जाते ही पूरे देश में ऐसे लोगों से इमानदारी की कठिन परीक्षा के प्रमाण मांगने शुरू हो जाते हैं।

विचारणीय प्रश्न यह है कि हम अटल जी सरीखे व्यक्तित्व में तो मुगल बादशाह की छवि देखने लगते हैं किन्तु तानाशाह इन्दिरा को ढाई वर्षो में ही फिर से सिर माथे लगा लेते हैं। क्या कारण है कि आप जैसा व्यक्ति भी बीजेपी से कर्नाटक संबंधी प्रश्न न उठाकर प्रधानमंत्री से उठा रहा है जो रबर स्टाम्प है। यदि आप बटन को परेशान करके बटन दबाने वाले का अप्रत्यक्ष मार्ग साफ करना चाहते हों तो मुझे कुछ नहीं कहना अन्यथा फिर से सोचिये कि पीएम इन वेटिंग(राहुल) के मन का काम तो आप नहीं कर रहे हैं? यदि आप मनमोहन सिंह को भी आखिरी बादशाह देखना ही चाहते हों तो वह कार्य असंभव नहीं क्योंकि चलती हुई गाड़ी से खिलवाड़ करने के परिणाम वैसी स्थिति भी बना सकते हैं और फिर राहुल गांधी के बाद उनके पुत्र की प्रतीक्षा करते रहियेगा।

इस समय भारत में चार लोगों के बीच ही प्रधानमंत्री की कुर्सी घूमनी चाहिए 1 मनमोहन सिंह 2 नितिश कुमार 3 नरेन्द्र मोदी 4

पी0चिदम्बरम्। इसके अतिरिक्त अभी किसी पर प्रयोग करना खतरे से खाली नहीं है। किन्तु सोनिया गांधी धुमा फिराकर राहुल को शामिल करना चाहेंगी । वैसे तो आडवाणी जी सुषमा स्वराज आदि भी हाथ पाँव पटकेंगे ही । सब के लिए आवश्यक है कि पहले मनमोहन सिंह को किनारे किया जाय और तब तिकड़म बिठाई जाय। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग दूरगामी सोच रखकर ही प्रश्न करें तो अच्छा होगा।

नोट– प्रश्न 04 तथा 05 के उत्तर हमारे वेव साइट काश इण्डिया. डॉट काम में भी देखा जा सकता है।

06.श्री के0जी0 बालकृष्ण पिल्लै, गीता भवन, तिरूअनन्तपुरम्, केरल

प्रश्न– (1) ज्ञान तत्व– 214 में ग्राम सभा सशक्तीकरण द्वारा लोक नियंत्रित तंत्र की कल्पना को साकार करने का प्रस्ताव बहुत ही अच्छा रहा हैं रामानुजगंज में इसका सफल प्रयोग हो सके तो धीरे धीरे अन्य प्रदेशों में भी उसका प्रभाव पड़ेगा।

(2) स्पेक्ट्रम प्रकरण में एक ओर सी0ए0जी0की रिपोर्ट है जो यह बताती है कि सरकार को करोड़ों रूपये की हानि हुई है। दूसरी ओर मंत्री महोदय का तथा उनके समर्थकों का कथन है कि सरकार को एक पैसे की भी हानि नहीं हुई। आम आदमी भ्रम में है। इस संबंध आपका निष्कर्ष क्या है।

(3) गाँवों में ग्राम सभा का जो हाल है वहीं हाल नगरों में वार्ड सभा का भी हैनी इस दिशा में भी प्रयत्न होना है नी।

उत्तर– इस संबंध में मेरी जानकारी यह है कि टू0जी0 स्पेक्ट्रम मामले में भारी भ्रष्टाचार हुआ है जिसके प्रभाव से देश को कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ। इस कई हजार करोड़ के नुकसान को सी0ए0जी0 ने बढ़ाते हुए एक लाख सत्तर हजार करोड़ बता दिया जो सच नहीं है।

देश को हुए नुकसान का अनुमान का आधार यही संभव है कि दो तीन वर्ष पूर्व जब ये ठेके हुए थे उस समय यदि भ्रष्टाचार नहीं होता तो ठेके कितने मूल्य तक संभव थे। अभी दो तीन वर्ष बाद थ्री0जी0 स्पेक्ट्रम की नीलामी से सत्तर हजार करोड़ रूपये प्राप्तु हुए। यह नीलामी भ्रष्टाचार मुक्त थी और तकनीक भी टू0जी0 से आगे थी। स्पष्ट है कि नीलामी की राशि सत्तर करोड़ से बहुत कम ही होती। सी0ए0जी0 के आंकड़े गलत हैं।

भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। कपित सिव्वल ने अविश्वसनीय आंकड़ों को आधार बनाकर सरकार का बचाव किया। इस बचाव में भी कोई दम नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार का होना तो विश्वसनीय ही है, मात्रा भले ही कम ज्यादा कुछ भी हो। समाज में जब सच बोलने वालों का अभाव हो जावे तो सत्य खोजने में भी बहुत कठिनाई होती हैं वहीं कठिनाई मेरे सामने भी हैं।

07.डा0 प्रभु, सागर ,मध्यप्रदेश

प्रश्न– ग्राम सभा सशक्तिकरण एवं नई समाज रचना के सूत्रपात की दिशा में आपके अनुभव और विचार लेकर आया ज्ञान तत्व का अंक 214 सन् 2011 के प्रारंभ में मिला. इक्कीसवीं सदी लोक स्वराज्य के निर्माण की सदी है. प्रथम दर्शन में ज्ञान यज्ञ परिवार के पुरूषार्थ से वहाँ रामानुजगंज में लोकस्वराज्य के सूर्य का उदय हुआ है, मेरा प्रयत्न यही है कि इसकी किरणें जगत में दूर–दूर

तक फैले.। विचार मंथन का दायरा बढ़े इसके लिए विचारकों व लेखकों के पते भेजने का काम मैंने स्वयं चुना है.

लोक स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त करने में यद्यपि विचार मंथन की भूमिका निर्विवाद है तथापि विचार–दीक्षित व कार्य दक्ष समर्पित साथियों के द्वारा लोक पंचायत के गठन के कार्य को गति प्राप्त होगी. रामानुजगंज में आप ऐसे ही साथियों के सहयोग से ग्राम देवता और लोक पंचायत कायम कर रहे हैं किंतु देश के 7 लाख गाँवों में यह कार्य कैसे संभव होगा? मैंने आपको गांधी गुरुकुल अर्थात गांधी–दीक्षा विश्व विद्यालय की एक परियोजना भेजी है. आप उसे रामानुजगंज में साकार कर सकते हैं. व्यक्ति निर्माण के बिना लोक स्वराज्य एवं नई समाज–रचना संभव नहीं है?

उत्तर– प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहियें। उससे अधिक कार्य प्रारंभ करने के पूर्व क्षमता का विस्तार करना चाहिये। हम सब साथियों ने एक सौ तीस गांव और एक शहर से नई समाज रचना का काम शुरू किया हैं। सात लाख गांवों का कैसे होगा यह बताने की जरूरत नहीं।क्योंकि हम सबकी क्षमता इससे अधिक नहीं। बाकी सात लाख गावों का काम आप सब साथी मिलकर कर लेंगे और यदि नहीं करेंगे तो वह मेरी चिन्ता का विषय नहीं। गांधी दीक्षा विश्वविद्यालय की परियोजना शुरू करना मेरे लिये संभव नहीं क्योंकि ग्राम सभा सशक्तिकरण का कार्य ही बहुत भारी है तो मैं अतिरिक्त वजन नहीं सम्हाल सकता। आप विश्वविद्यालय बना ही रहे हैं। परिणाम आने के बाद विचार करेंगे।

कार्यालयीन प्रश्नो के उत्तर

01.प्रश्न– ज्ञान तत्व दो सौ सोलह में आपने शोषण के समाज पर दुष्प्रभाव को ही नकार दिया जबकि समाज में हर मजबूत कमजोर का शोषण करता दिखता है। क्या समाज का कर्तव्य नहीं कि वह कमजोर को ऐसे शोषण से बचावे?

उत्तर– किसी कमजोर को किसी मजबूत के आक्रमण से बचाना सरकार का काम होता है और शोषण से बचाना समाज का काम है सरकार का नहीं। किसी भी प्रकार के आक्रमण में दूसरे पक्ष के मौलिक अधिकारों का हनन होता है किन्तु शोषण में किसी के मौलिक अधिकारों का हनन न होकर सिर्फ सामाजिक अधिकारों का ही हनन होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के मौलिक अधिकारों का हनन करें तो उस अपराधी के मौलिक अधिकारों पर राज्य आक्रमण या कटौती कर सकता है किन्तु सामाजिक अधिकारों पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति अपराधी या समाज विरोधी न होकर सिर्फ असामाजिक ही होता हैं। आप उसे दण्डित नहीं कर सकते।

दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि कमजोर व्यक्ति होता है वर्ग नहीं। वर्ग गुण कर्म स्वभाव से बनना चाहिये न कि वर्ग पहले और गुण कर्म स्वभाव बाद में। हजारों वर्षो से इसी भूल या चालाकी के कारण शोषण हुआ। अब नये वर्ग द्वारा नये तरीके से वैसी ही चालाकी की जा रही है। यह शोषण का समाधान नहीं है बल्कि शोषण करने वालों के चेहरे बदल जायेंगे।

हमसे भूल हो रही है कि

(1) हम मूल अधिकार, सामाजिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार का अन्तर नहीं समझ रहे न हमें समझने दिया जा रह है।

(2) हम अपराध गैर कानूनी और अनैतिक का अन्तर नहीं समझ रहे

(3) हम दायित्व और कर्तव्य के बीच का अन्तर नहीं समझ रहे।

सब धान वाइस पसेरी खरीदने की मूर्खता का स्वाभाविक परिणाम होगा कि धूर्त लोग रद्दी धान लाने को प्रोत्साहित होंगे, जैसा कि आज हो रहा है।

एक बात और विचारणीय है कि बिना अपनी क्षमता का आकलन किये कर्तव्य को दायित्व में बदलना घातक होता है। क्योंकि ज्यों ही आप किसी कार्य को दायित्व घोषित कर देते हैं त्योंही वह दायित्व दूसरे का अधिकार बन जाता है। आज राज्य चोरी डकैती आतंक वाद भ्रष्टाचार बलात्कार को तो रोक नहीं पा रहा और बेमतलब वैश्यावृत्ति, दहेज, जैसे अनावश्यक कार्यो में हाथ डाल रहा हैं। बलात्कार एक अपराध है। उसे रोकना राज्य का दायित्व है। बलात्कार के अतिरिक्त बाकी मामलों में यौन सुरक्षा राज्य का दायित्व नहीं। रूपम पाठक के मामले में कहीं बलात्कार नहीं है जिसमें राज्य हस्तक्षेप करे। राज्य ने अनावश्यक यह कार्य लिया और उसके दुष्परिणाम आज समाज को भुगतना पड़ रहा हैं। राज्य की ना समझी का ही परिणाम है कि आज बलात्कार बढ़ रहे हैं। यदि राज्य यौन शोषण से स्वयं को दूर कर ले तो बलात्कार अपने आप कम हो जायेंगे। आज समाज में यौन तृप्ति के साधनों की मांग ज्यादा है और पूर्ति कम क्योंकि राज्य ने कानून बनाकर ऐसे साधनों पर रोक लगा रखी है। उसका परिणाम है छीना झपटी। अति उच्च आदर्श घोषित करना, जो क्षमता से बहुत दूर है, या तो मूर्खता है या घूर्तता। राज्य घूर्तता कर रहा है या मूर्खता यह अलग से विचारना होगा किन्तु राज्य समझदारी नहीं कर रहा इतना तय हैं।

02.प्रश्न– क्या आपके अनुसार महिलाओं का शोषण समाज में होता ही नहीं ?

उत्तर– सिर्फ महिलाओं का ही नहीं होता। समाज में हर कमजोर का हर मजबूत के द्वारा शोषण होता हैं किन्तु शोषण रोकना सरकार का काम नहीं है, समाज का काम है। सरकार शोषण रोकने का अनावश्यक काम जिम्मे ले रही है। उसके पास अभी जितने दायित्व है वही उसके सम्हाले नहीं सम्हल रहे तो सरकार क्यों अनावश्यक वजन उठावे।

दूसरी ओर यह बात भी उतनी ही सत्य है कि हर कमजोर की सहायता भी हर मजबूत ही करता है। समय समय पर महिलाओं की सहायता के लिये पुरूष आगे आते रहे हैं। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा हैं। घूर्त लोग शोषण की बात समाज में वर्ग विद्वेष पैदा करने के लिये ही उठाते रहते हैं। गिलास आधा भरा है कि आधा खाली इस विवेचना में विवेचना करने वाले की नीयत ही विवेचना के निष्कर्ष को प्रभावित करती है। सत्य तो अपनी जगह पर एक ही है।

03.प्रश्न– आपने लिखा कि सुरक्षा राज्य का दायित्व होता है। यदि राज्य अपना काम न करे तब समाज को करना चाहिये या नहीं ?

उत्तर– आप मेरी पुस्तक ज्ञान तत्व एक सौ पांच पढ़ें। मैंने उस पुस्तक के अपराध खंड के इक्कीसवें खंड में स्पष्ट लिखा था कि यदि कोई शासन अपराध नियंत्रण में अक्षम है तो समाज को परिस्थिति अनुसार उसे

क. उचित मार्ग दर्शन देना चाहिये।

ख. उसे बदल कर नया शासन बना देना चाहिये।

ग. आपातकाल घोषित करके सारी शक्ति स्वयं में तब तक केन्द्रित कर लेनी चाहिये जब तक कोई नई व्यवस्था न बन जावें।

अब यह आप पर निर्भर करेगा कि आप वर्तमान स्थितियों का कैसा आकलन करते हैं। स्थितियाँ चाहे जो हों किन्तु समाज को स्वयं आपसी हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

विचारणीय प्रश्न यह है कि हम समाज को सत्ता परिवर्तन के लिये क्यों नहीं समझा पा रहें ? मुझे तो दुख होता है जब अच्छे अच्छे गांधीवादी नक्सलवादी हिंसा का और अच्छे अच्छे धर्मगुरू सामाजिक हिंसा का समर्थन

करने लगते हैं। उनमें आत्मबल का स्पष्ट अभाव है। मेरा तो स्पष्ट मत है कि हमें कभी भी किसी भी स्थिति में सामाजिक हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिये।

04.प्रश्न– आपने अपने लेख ज्ञानतत्व दो सौ सोलह में लिखा कि पाकिस्तान के गवर्नर की हत्या करने वाला इस्लामिक भावनाओं से प्रभावित था, पाकिस्तानी नहीं। आप यह बात और स्पष्ट करिये।

उत्तर– पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है। वहाँ का बहुसंख्यक मुसलमान पाकिस्तान में शरीया कानून चाहता हैं। पाकिस्तान अब पहले सरीखा बफर स्टेट तो है नहीं जिसे अमेरिका और रूस को अलग अलग जरूरत हो। साम्यवाद के पतन के बाद विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय होती जा रही है जिसके अनुसार प्रत्येक देश को एक सीमा से आगे जाकर मानवाधिकार हनन के मामलों में विश्व जनमत का भी ख्याल रखना पड़ता है। पाकिस्तान सरकार तो यह मजबूरी समझती है किन्तु इस्लाम को ऐसी मजबूरी में जीने की आदत नहीं। वह भी ऐसे देश में जहाँ मुसलमान पूर्ण बहुमत में रहते हों। इस्लाम पाकिस्तान सरकार की दया नर नहीं रहता बल्कि धार्मिक मुसलमानों की दया पर पाकिस्तान सरकार का अस्तित्व हैं।

पाकिस्तान का मृत गवर्नर इस्लामिक कट्टरवाद का प्रतिनिधि न होकर पाकिस्तान का गवर्नर था जो इस्लामिक कट्टरपंथियों की नजर में काफिर था और इस्लाम की नजर में काफिर का भविष्य है सजाए मौत। ऐसी सजाए मौत पाकिस्तान की आवश्यकता न होकर इस्लाम की आवश्यकता थी क्योंकि पाकिस्तान की नजर में ईश निन्दा का दण्ड है सजाए मौत, ईश निन्दा कानून का विरोध करना सजाए मौत का आधार नहीं है। इसलिये हत्यारा किसी भी रूप में पाकिस्तानी राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत न होकर इस्लामिक कट्टरवाद की भावनाओं से ही ओत प्रोत माना जाना चाहिये।

इस्लाम और पाकिस्तान का अन्तर न समझने का खामियाजा संघ परिवार बम्बई हमलों में भुगत चुका है। पूरे भारत में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ जन मत बना हुआ था। सरकार भी परेशान थी और कांग्रेस पार्टी भी। बटाला हाउस इनकाउन्टर में एक पुलिस अफसर की हत्या ने और भावनाएँ जागृत कर दी थीं। धीरे धीरे जनमत मुस्लिम आतंकवाद के पक्ष विपक्ष में ध्रुवीकृत हो रहा था। ऐसे समय में बम्बई में ताज होटल पर हमला हुआ। हमला मुस्लिम आतंकवाद से जुड़ा था किन्तु सरकार ने बहुत चतुराई से हमले को पाकिस्तानी आतंकवाद से जोड़ दिया। संघ परिवार और भाजपा दोनों आतंकवादो का फर्क समझ नहीं सकी। भाजपा भी सरकार के साथ पाकिस्तान के विरोध में वातावरण बनाने में सक्रिय हो गई। परिणाम यह हुआ कि जनमत का ध्यान इस्लामिक आतंकवाद से हट गया और इसका परिणाम संघ भाजपा के विपरीत गया।

मेरा अब भी मत है कि पाकिस्तान का अन्ध विरोध इस्लामिक कट्टरवाद का सहायक है। हमें जब तक साफ न हो तब तक पाकिस्तान का विरोध न करके इस्लामिक कट्टरवाद तक ही सीमित रहना चाहिये। यदि और भी अच्छा मार्ग चुनना हो तो इस्लामिक शब्द भी छोड़कर सिर्फ कट्टरवाद का ही विरोध करना चाहिये। किन्तु यदि इस्लाम के विरूद्ध ही सक्रियता हो तो पाकिस्तान को किनारे रखना ही ठीक रहेगा। कश्मीर का मामला भी इसी तरह देखना ठीक रहेगा।

05.प्रश्न– क्या यह सही है कि नाम में मुहम्मद जुड़ा होने मात्र से एक डाक्टर को पाकिस्तान में ईश निन्दा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार होना पड़ा? विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी संभव है। आप एक बार और पता करिये।

उत्तर– मैं इस विषय में आश्वस्त हूँ कि यह घटना सच है। वैसे तो मुसलमान और संघ के कार्यकर्ताओं के विषय में मेरी पुरानी धारणा है कि ये अपवाद स्वरूप ही दिमाग का उपयोग करते हैं अन्यथा जो इनके नेता कह दें वही पर्याप्त होता है। उसमें भी यदि ये प्रगति कर रहे हों तब तो पूछना ही क्या है? इन सबके बाद भी मुझे इस घटना की सच्चाई पर संदेह हुआ और तब मैंने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आप विश्वास करिये कि तीनों घटनाएँ पूरी तरह सच हैं। उस बेचारे डाक्टर के खिलाफ बड़े प्रदर्शन होना तो और भी ज्यादा आश्चर्य जनक है।

06.प्रश्न– आपने इस लेख में एक लाइन संघ के विषय में लिख दी कि संघ ऐसे कानूनों का समर्थक है। सच्चाई यह है कि संघ ऐसे किसी भी कानून का समर्थक नहीं।

उत्तर– मैंने जो लिखा वह सोचकर लिखा हैं। गोहत्या करने वाले मुसलमान की हत्या करने को उचित ठहराना क्या कम अमानवीय निर्णय हैं। गोहत्या के पक्ष विपक्ष में निर्णय करना समाज का काम है न किसी व्यक्ति का काम है न सरकार का। एक तरफ समान नागरिक संहिता की बात करना तो दूसरी तरफ गोहत्या बन्दी या हिन्दू राष्ट्र का नारा लगाना साथ साथ कैसे संभव है। क्या संघ परिवार ने "वन्दे मातरम् गाना होगा या भारत से जाना होगा" जैसे नारे नहीं लगाये। क्या भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वन्दे मातरम् गाना ही होगा? यदि ऐसे कानूनों का समर्थन उचित है तो ईश निन्दा कानून का विरोध क्यों? मैं तो समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति पर ऐसे कानून थोपना अमानवीय है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान।

विनायक सेन के बहाने एक परिचर्चा–

आचार्य पंकज –

जस्टिस अहमदी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश –"मूझे इस फैसले से झटका लगा हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार को आतंकवाद के बराबर ठहरा दिया गया है। चिट्ठियाँ लेकर किसी को दे देना किसी को सजा देने का मजबूत आधार नहीं हो सकता। "

जस्टिस वी0एन0खरे, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश– " सरकार को अंतिम सीमा तक जाकर साबित करना होगा कि जिस आदमी को उसने आरोपित किया है, वह सचमुच गुनहगार है.... अगर साक्ष्य कमजोर है और टिक नहीं सकता तो उच्च न्यायालय को जवाब देना होगा।" साभार, समकालीन जनमत, इलाहाबाद।

भारत की एक अदालत ने पिछले दिनों विनायक सेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शायद अदालत अरबों का घोटाला करने वालों को देश द्रोही नहीं मानती। साम्प्रदायिक हिंसा में हजारों लोगों को मार डालने वाले देश–भक्त हैं। मोटी फिरौती और हत्यायें करने वाले देशभक्त हैं। लेकिन मानवाधिकार के लिये संघर्ष करने वाले विनायक सेन देशद्रोही हैं इसलिये दंडित हुये। देश के लोकतांत्रिक, न्यायप्रिय और मानवमूल्यों की रक्षा करने को प्रतिश्रुत सभी बुद्धिजीवियों ने इस अमानुषिक फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये धरने और प्रदर्शन किये हैं। फैसले के विरूद्ध ये प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि किसी भी न्यायिक अदालत में राष्ट्रद्रोह की परिभाषा आखिर क्या? यह खासी हैरानी की बात है कि इस देश में यथास्थितिवादी सभी लोगों की निगाह में नक्सलवाद, माओवाद राष्ट्रद्रोह हैं।

नेपाल में माओवादियों के सत्ता में आने के बाद भी भारत में माओवाद राष्ट्रद्रोह है।

यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस समय देश के बहुत बड़े भूभाग में माओवाद का सामाजिक–राजनीतिक प्रभुत्व हो चुका है लेकिन क्षेत्रवार इस बात की पड़ताल उन लोगों ने कभी नहीं की जो माओवाद के विरोधी हैं। उनके बीच सिर्फ एक चर्चा अक्सर होती है कि उन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है। लेकिन विकास क्यों– नहीं हुआ, विकास से ये क्षेत्र किन कारणों से बाहर रहे या रखे गये और वर्तमान व्यवस्था में वे कौन से तत्व और विचार हैं जो विकास न होने के जिम्मेदार हैं, इसकी पहचान कभी नहीं की गई। क्या इस बात की कभी तटस्थता के साथ किसी ने व्याख्या करने की कोशिश की कि लगभग सभी ऐसे काम जो विकास के नाम पर किये जाते हैं वे स्वार्थी कुलीनों का हित साधन मात्र ही होते हैं। इसीलिये जहाँ उनकी ज्यादा जरूरत होती है वहाँ वे कभी नहीं पहुंचते हैं। विकास वहाँ होता है जहाँ छोटे से काम में अरबों रूपये का खर्च निकाला जा सके। किसी दरिद्र क्षेत्र में साफ पीने का पानी पहुँचाना उतना लाभदायक नहीं होता जितना फ्लाई ओवर बनाना या बीस–तीस किलोमीटर के लिये मैट्रो ट्रेन की व्यवस्था करना। सब जानते हैं कि इस देश में लगभग आधी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे तिल–तिल कर मरने को बाध्य या अभिशप्त है। उसके लिये कोई कारगर व्यवस्था कभी नहीं हुयी। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस भयावह स्थिति का पता नहीं है। सरकार को सब कुछ बखूबी पता है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिये कुछ करती भी रहती है। मसलन तीन सौ पैसठ दिन भूखमरी में काटने वालों के लिये सौ दिन का रोजगार देती है। " व्यवस्था परिवर्तन मंच की मांग है कि देश के सभी नागरिकों को प्रति मास कम से कम दो हजार रूपये जीवन सुरक्षा पेंशन दिया जाय ताकि भूखमरी का निदान हो सके। " एतदर्थ आन्दोलन जारी है। सरकार कामनवेल्थ खेल में करीब पौने दो लाख करोड़ रूपये खर्च कर डालती है। इस तरह राष्ट्रीय मिथ्या सम्मान के नाम पर इसका लाभ गिने–चुने लोगों को इतना होता है कि उसका भेद खोलने की धमकी देने वाला पत्र लिखता है– चार करोड़ दो वरना पोल खोल दूंगा, और ये सब देशभक्त हैं। हमें यह बात समझनी होगी कि जिन क्षेत्रों में माओवाद ने जड़े जमाई हैं वहाँ किसी भी तरह के विकास के काम में इतनी मोटी–मलाई नहीं मिल सकती और यह भी कि भारत के संविधान में समाजवाद की हलफ उठाये जाने के बावजूद देश की अर्थ–व्यवस्था में अंशमात्र भी समाजवाद दिखाई नहीं देता।

और अब कुछ बातें नक्सलवाद या वर्तमान माओवाद को लेकर। आखिर इस देश में एक अरब बीस करोड़ लोग रह रहे हैं। अपने प्रभाव के क्षेत्रों को छोड़कर माओवादी बाकी देश के लोगों को संबोधित क्यों नहीं करते? बाकी देशवासी यथास्थितिवादी– व्यवस्था के प्रचार के प्रभाव में उन्हें आतंकवादी समझते हैं। उनके उद्देश्यों से कोई भी वाकिफ नहीं होता। गांधी की बातों से भारत के दूरदराज के क्षेत्रों के कामगार और किसान परिचित थे। जनता इस बात से प्रभावित होती है कि किस काम और विचारों से उसकी बेहतरी होगी। जहाँ नक्सलवादियों का प्रभाव नहीं है, वहाँ के करोड़ों लोग यथास्थितिवादी तंत्र के प्रभाव और प्रचार के कारण उनके उतने ही कटु विरोधी है जितनी पुलिस। गान्धी को तो भारत की बहुसंख्यक पुलिस और सेना भी अपना उद्धारक मानती थी। जिन समस्याओं से देश की जनता उत्पीड़ित है उनमें वैचारिक हस्तक्षेप माओवाद को करना होगा। भारत में ग्रेटमार्च की आवश्यकता नहीं है ग्रेट वैचारिक यात्रा अहिंसात्मक तरीके से क्यों नहीं की जा सकती? और तब शायद इतना बड़ा जनबल तैयार हो सके कि हथियारों की जरूरत नहीं रह जायेगी। जैसा कि स्वतंत्रता –संग्राम–आन्दोलन में गान्धीजी ने किया था।

उत्तरार्ध

विशेष सुचना

लोक स्वराज्य संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी आर्य ने सुचित किया है कि लोक स्वराज्य संघ की एक विशेष बैठक दिनांक 27मार्च 11 को उज्जैन मध्य प्रदेश मे रखी गयी है मिटिगं की व्यवस्था राम कृष्ण जी पौराणीक उज्जैन करेंगे। सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे बैठक मे। आने की कृपा करें। पौराणीक जी का पता इस प्रकार हैं। रामकृष्ण पौराणिक 10/8 अलखनंदा नगर विरला अस्पताल के पास उज्जैन म0 प्र0–456010